राजस्थान सरकार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

वार्षिक प्रगति/प्रशासनिक प्रतिवेदन
वर्ष 2022

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF ANTI CORRUPTION BUREAU, RAJASTHAN

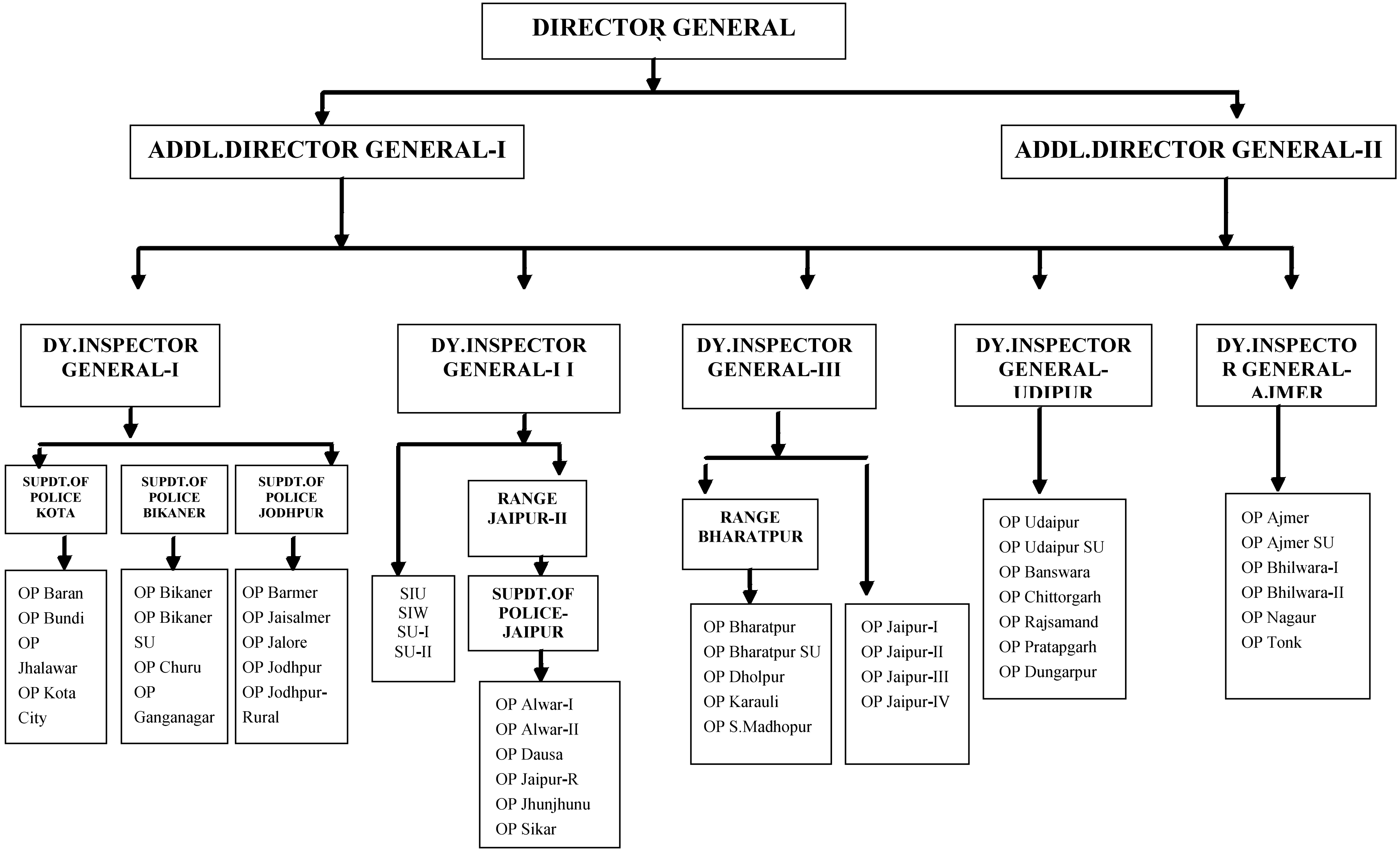

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण

क्र.स.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	महानिदेशक	01	–	01
2.	अतिरिक्त महानिदेशक	01	02	+01
3.	महानिरीक्षक पुलिस	03	02	01
4.	उप महानिरीक्षक पुलिस	04	03	01
5.	पुलिस अधीक्षक	06	03	03
6.	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	60	37	23
7.	उप अधीक्षक पुलिस	31	38	+07
8.	पुलिस निरीक्षक	98	66	32
9.	उप निरीक्षक पुलिस	35	24	11
10.	सहायक उप निरीक्षक पुलिस	98	23	75
11.	मुख्य आरक्षक(सीपी)	155	118	37
12.	मुख्य आरक्षक(एमटी)	11	04	07
13.	आरक्षक	416	438	+22
14.	आरक्षक ड्राईवर	95	86	09
15.	वित्तीय सलाहकार	01	01	–
16.	वरिष्ठ लेखाधिकारी(मुख्य लेखाधिकारी)	01	01	–
17.	आर.ए.एस.(उप निदेशक राजस्व)	02	01	01
18.	अधिशाषी अभियंता (उप निदेशक तकनीकी)	01	01	–
19.	अपर निदेशक अभियोजन	01	01	–
20.	उप निदेशक अभियोजन	02	02	–
21.	एनालिस्ट कम प्रोग्रामर	01	01	–

22.	निजी सचिव	01	—	01
23.	असिसटेंट टेस्टिंग ऑफिसर	01	—	01
24.	लेखाधिकारी	01	01	—
25.	अतिरिक्त निजी सचिव	01	01	—
26.	जन सम्पर्क अधिकारी	01	01	—
27.	प्रोग्रामर	01	—	01
28.	सहायक विधि परामर्शी	01	01	—
29.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	01	01	—
30.	कनिष्ठ विधि अधिकारी	01	—	01
31.	संस्थापन अधिकारी	01	—	01
32.	प्रशासनिक अधिकारी	03	02	01
33.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	10	01	09
34.	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I/II	03	03	—
35.	निजी सहायक	07	00	07
36.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	22	17	05
37.	कनिष्ठ लेखाकार / लेखाकार	01	01	—
38.	शीघ्र लिपिक	10	10	—
39.	वरिष्ठ सहायक	33	29	04
40.	सूचना सहायक	03	01	02
41.	कनिष्ठ सहायक	61	63	+2
42.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	17	10	07
	कुल योग	1203	994	209 (+32)

प्रमुख कार्य

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का मुख्य उद्देश्य लोक सेवकों एवं राजकीय प्रतिष्ठानों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार से सम्बन्धित शिकायतों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करना है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु किये जा रहे कार्यों के अन्तर्गत भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करना, सूत्र सूचनायें एकत्रित कर उनको विकसित एवं सत्यापित करना, अपराधों का अन्वेषण करना, रिश्वत प्राप्त करने वाले लोक सेवकों को रंगे हाथों पकड़ना, राजकीय पद का दुरूपयोग करने वाले तथा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने वाले भ्रष्ट तत्वों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करना है।

प्रशासन

राज्य में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने हेतु प्रदेश में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की 33 जिलों में 43 चौकियां स्थापित हैं इनमें से 05 जयपुर में स्थापित हैं। सभी जिलों पर स्थापित चौकियों में प्रभारी अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप अधीक्षक पुलिस हैं। विशेष अभियोगों का अनुसंधान करने के लिए पृथक से एक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग एवं एक स्पेशल इन्वेस्टीगेशन यूनिट ब्यूरो के मुख्यालय पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त ब्यूरो मुख्यालय जयपुर में 2 स्पेशल यूनिट व 1 इन्टेलीजेंस यूनिट, रेंज स्तर पर 6 स्पेशल यूनिट एवं 6 इन्टेलीजेंस यूनिट कार्यरत हैं।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की कार्य प्रणाली को सुदृढ़ एवं सशक्त बनाने के लिए रेन्ज स्तर पर 6 कार्यालय कार्यरत है, जिनके प्रभारी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं।

वर्ष में किये गये महत्वपूर्ण कार्य/उपलब्धियाँ

वर्ष 2022 में कुल 511 अभियोग पंजीबद्ध किये गये, जिनमें से ट्रेप के 465 अभियोग, पद के दुरूपयोग के 19 अभियोग एवं आय से अधिक परिसम्पतियाँ अर्जित करने के 27 अभियोग हैं। माननीय न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में से वर्ष 2022 के अन्त तक 109 प्रकरणों में आरोपियों को सजा सुनाई गई है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा वर्ष के दौरान राज्य सरकार की भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई जिसमें प्रमुख विभाग एवं उनके कार्मिकों के विरूद्ध की गई कार्यवाहियों का विवरण निम्न प्रकार है:–

- ब्यूरो में वर्ष में कुल 511 प्रकरण भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पी.सी.एक्ट) में पंजीबद्ध किये गए, इन प्रकरणों में 465 ट्रेप, 19 पद के दुरूपयोग तथा 27 आय से अधिक सम्पत्ति के प्रकरण शामिल हैं। उक्त प्रकरणों में राजस्व, पुलिस, पंचायत, ऊर्जा विभाग, स्वायत्त शासन विभाग आदि प्रमुख हैं।
- ट्रेप के कुल 465 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए, इन प्रकरणों में 67 प्रकरण राजपत्रित अधिकारीगण, 398 प्रकरण अराजपत्रित कर्मचारीगण के विरूद्ध पंजीबद्ध किये गये।
- पद के दुरूपयोग के कुल 19 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए। इन प्रकरणों में 11 प्रकरण राजपत्रित अधिकारीगण एवं 8 प्रकरण अराजपत्रित कर्मचारीगणों के विरूद्ध पंजीबद्ध किये गये।
- आय से अधिक सम्पत्ति के कुल 27 प्रकरण पंजीबद्ध किये गए, इन प्रकरणों में 15 प्रकरण राजपत्रित अधिकारियों एवं 12 प्रकरण अराजपत्रित कर्मचारियों के विरूद्ध पंजीबद्ध किये गए।

(अ) ट्रेप के महत्वपूर्ण प्रकरण

पुलिस विभाग:

1. पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना बानसूर, जिला अलवर एवं अन्य द्वारा परिवादिया श्रीमती मुकेश देवी के पति के विरूद्ध पंजीबद्ध अभियोग में नियम विरूद्ध बिना रिकॉर्ड के अवैध हिरासत में बैठाया जाकर उसे छोडने एवं मुकदमें को रफा दफा करने की एवज में 1,40,000 रूपये की रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 308/2022 दिनांक 04.08.2022 को पंजीबद्ध किया गया।
2. पुलिस निरीक्षक, पुलिस थाना गोविन्दगढ, जिला जयपुर ग्रामीण एवं अन्य द्वारा परिवादी श्री निर्मल कुमार के विरूद्ध पंजीबद्ध मुकदमें में उसे गिरफ्तार करने की धमकी देकर गिरफ्तार नहीं करने की एवज में 6,00,000 रूपये की रिश्वत राशि लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 331/2022 दिनांक 26.08.2022 को पंजीबद्ध किया गया।

3. दिनांक 28.06.2022 को उप निरीक्षक पुलिस, महिला पुलिस थाना जोधपुर ग्रामीण के द्वारा परिवादी श्री रामनिवास व परिवादी के परिजनों के विरूद्ध पंजीबद्ध अभियोग संख्या 261/2022 में एफ.आर. लगाने एवं मदद करने की एवज में 1,00,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने पर गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 258/2022 पंजीबद्ध किया गया।
4. दिनांक 18.06.2022 को पुलिस निरीक्षक, धम्बोला, जिला डूंगरपुर एवं थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली, जिला डूंगरपुर एवं अन्य के द्वारा परिवादी श्री विक्रम सिंह से उसकी शराब के ठेके को सुचारू रूप से चलने देने एवं कानूनी कार्यवाही नही करने एवं पूर्व में पंजीबद्ध अभियोगों में मदद करने की एवज में 8,30,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 245/2022 पंजीबद्ध किया गया।
5. उप निरीक्षक, पुलिस थाना, कोतवाली नीम का थाना, जिला सीकर द्वारा परिवादी श्री करतार सिंह से एच.डी.एफ.सी. बैंक, नीम का थाना, जिला सीकर में बैंक के कर्मचारी के विरूद्ध पंजीबद्ध गबन के मुकदमें में परिवादी व उसके साथी को आरोपी नहीं बनाने की एवज में 1,00,000 रू की रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 292/2022 दिनांक 22.07.2022 को पंजीबद्ध किया गया।
6. दिनांक 10.09.2022 को जिला परिषद सदस्य, वार्ड नं0 16, बीकानेर द्वारा परिवादी श्री ओमप्रकाश के खिलाफ पुलिस थाना कोलायत में पंजीबद्ध मुकदना नं0 167/2022 में स्वयं एवं अपने परिचित से उच्च अधिकारियों को परिवाद पेश कर भूमि आवंटन निरस्त करवाने हेतु परिवादी पक्ष पर दबाव बनाकर, पुलिस थाना व कोर्ट में कार्यवाही नहीं करने की एवज में मांग सत्यापन के समय 50,000/–रू प्राप्त कर लिये व दौराने ट्रेप कार्यवाही 1,00,000/– भारतीय मुद्रा व 9,00,000/–रू चिल्ड्रन बैंक के नोट कुल 10,00000/–रू प्राप्त करने पर गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 355/2022 पंजीबद्ध किया गया।

राजस्व विभागः

7. दिनांक 17.01.2022 को श्री सूरज बाली, मुख्य आरक्षक संख्या 82, ए.सी.बी. की सूत्र सूचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील भीलवाडा, जिला भीलवाडा एवं अन्य के द्वारा लोगों से उनके कार्य करवाने कि एवज में वाट्सअप से कॉल कर अपने पुत्र के बताये अनुसार अन्य बैंक खाते में 3,00,000 रू0 बतौर रिश्वत राशि प्राप्त करने की एवज में गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 13/2022 पंजीबद्ध किया गया।

8. दिनांक 21.03.2022 को सूत्र सूचना पर आकस्मिक चैकिंग की जाकर उपखण्ड अधिकारी, कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बेंगू, जिला चित्तौडगढ एवं अन्य द्वारा चारभुजा मन्दिर से संबंधित एक वाद में शीघ्र निस्तारण एव निर्णय लेने की एवज में 3,00,000 रू रिश्वत राशि प्राप्त करने पर प्रकरण संख्या 93/2022 पंजीबद्ध किया गया।

9. दिनांक 24.03.2022 को कनिष्ठ सहायक, कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला नागौर एवं अन्य के द्वारा परिवादी श्री रमेशपाल से ग्राम पंचायत पांचला के चार प्रस्तावो की स्वीकृति जारी करने की एवज में 1,90,000 रू रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किये जाने पर प्रकरण संख्या 97/2022 पंजीबद्ध किया गया।

10. दिनांक 25.04.2022 को तत्कालीन जिला कलेक्टर, अलवर व अन्य द्वारा परिवादी श्री इकबाल सिंह पूनियां से उसकी कंपनी द्वारा नेशनल हाईवे नं. 148 एवं दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेस वे ग्रीन फील्ड सडक निर्माण कार्य को निर्बाध रूप से चलने देने की एवज में मासिक बंधी बनाकर 5,00,000 रू की रिश्वत प्राप्त करते गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 140/2022 पंजीबद्ध किया गया।

11. दिनांक 27.05.2022 को तहसीलदार, छतरगढ, जिला बीकानेर व अन्य द्वारा परिवादी श्री महावीर प्रसाद से कार्यालय में पेश होने वाली रजिस्ट्रियों के पंजीयन की एवज में कमीशन के रूप में 2,74,400 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 207/2022 पंजीबद्ध किया गया।

पंचायती राज विभागः

12. दिनांक 01.03.2022 को ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डांगरा अति0 कार्यभार ग्राम पंचायत सायला, पंचायत समिति सायला, जिला जालौर एवं अन्य को परिवादी श्री कानसिंह से काम्पलेक्स पर निर्माण कार्य करवाने की एनओसी जारी करने की एवज में 1,50,000 रूपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 67/2022 पंजीबद्ध किया गया।

13. दिनांक 30.03.2022 को कनिष्ठ लिपिक कम कैशियर, पंचायत समिति सरणाउ, जिला जालौर, एवं अन्य के द्वारा परिवादी श्री भींयाराम से पंचायत गुन्दाऊ के नरेगा ग्रेवल सडक निर्माण व व्यक्तिगत टांका निर्माण कार्यों की सामग्री सप्लाई के बिल पास करने की एवज में 2,00,000 रूपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 103/2022 पंजीबद्ध किया गया।

14. दिनांक 24.09.2022 को सरपंच, ग्राम पंचायत जैतूसर, पंचायत समिति खण्डेला, जिला सीकर को परिवादी श्री मोहनलाल यादव व उसके पिता द्वारा पंचायत समिति, जैतूसर में करवाये गये कार्य के बदले जमा अमानत राशि लौटाने की एवज में 2,10,000 रूपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 383/2022 पंजीबद्ध किया गया।

15. दिनांक 01.05.2022 को वार्डपंच, वार्ड संख्या 13, ग्राम पंचायत मांडवा, पंचायत समिति सायला, जिला जालौर द्वारा परिवाादी श्री हंजाराम की शिकायतों की जांच के दौरान राजीनामा करवाने, शिकायतों को रफा दफा करवाने एवं पंचायत से स्वीकृति दिलवाने की एवज में 1,00,000 रूपये रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 157/2022 पंजीबद्ध किया गया।

16. दिनांक 24.09.2022 को ब्लॉक विकास अधिकारी, राजगढ द्वारा परिवादी श्री चरणसिंह से पंचायत समिति राजगढ परिक्षेत्र में हेडपम्प/ट्यूबवैल निर्माण कार्यों के बिलों का भुगतान करवाने की एवज में दलालों द्वारा 5,00,000 रूपये कि रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 384/2022 पंजीबद्ध किया गया।

स्वायत्त शासन विभागः

17. दिनांक 08.01.2022 को श्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक, ए.सी.बी. की सूत्र सूचना के आधार पर वित्तीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेटर, जयपुर एवं अन्य के द्वारा नगर निगम ग्रेटर के टेण्डर प्रदान करना, कार्य के निरीक्षण, माप तथा बिलों का भुगतान किये जाने के लिए अलग–अलग ठेकेदारों से कमीशन के रूप में

राशि प्राप्त करने के आरोपों पर जांच कार्यवाही की गई जिसके दौरान लगभग 27 लाख रूपये की बरामदगी कर्मचारियों व प्राईवेट व्यक्तियों से की गई जिस पर प्रकरण संख्या 05/2022 पंजीबद्ध किया गया।

18. दिनांक 09.02.2022 को उपायुक्त, जोन–4, जेडीए एवं अन्य के द्वारा परिवादी श्री अरूण सिंह चौधरी से उसके पिताजी के नाम के प्लॉट का जेडीए पट्टा जारी करने की एवज में राशि 2,00,000 रू (1,20,000 डमी नोट एवं 80,000 भारतीय मुद्रा) रिश्वत लेते हुये गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 39/2022 पंजीबद्ध किया गया।

19. दिनांक 09.03.2022 को अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका आसीन्द, जिला भीलवाडा एवं अन्य के द्वारा परिवादी श्री देवीलाल साहू के भूखण्ड पर निमार्ण कार्य के सम्बन्ध में जारी नोटिस फाईल करने की एवज में राशि 1,25,000 रूपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 84/2022 पंजीबद्ध किया गया।

20. दिनांक 19.07.2022 को चैयरमैन, नगरपालिका टोडारायसिंह, जिला टोंक व अन्य द्वारा परिवादी श्री अनीस मोहम्मद से काटी जाने वाली आवासीय कॉलोनी में किसी प्रकार का विवाद नहीं करवाने की एवज में 1,70,000 रूपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 288/2022 पंजीबद्ध किया गया।

21. दिनांक 25.11..2022 को आयुक्त, नगर परिषद, बालोतरा, जिला बाडमेर व अन्य द्वारा परिवादी श्री अनिल बोराणा से जमीन की 90 बी लीज डीड व व्यावसायिक पट्टा जारी करने की एवज में 1,00,000 रूपये की रिश्वत प्राप्त करना, रिश्वत राशि प्राप्त कर्ता के फरार होने व राशि बरामदगी शेष होने पर प्रकरण संख्या 452/2022 पंजीबद्ध किया गया।

22. दिनांक 12.10.2022 को अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका खेडली, जिला अलवर द्वारा परिवादी श्री भगवान सिंह से उसकी दुकानों को अवैध बताकर उन्हे नहीं तोडने तथा रिपोर्ट परिवादी के पक्ष में देने की एवज में रिश्वत राशि 5,00,000 रूपये लेते गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 400/2022 पंजीबद्ध किया गया।

23. दिनांक 01.12.2022 को श्री आशुतोष आचार्य, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका भीनमाल, जिला जालौर व अन्य के द्वारा परिवादी श्री मुकेश कुमार सोनी से लंबित 6 फाईलों में नगर पालिका के पट्टे जारी करने की एवज में कुल 3,43,500 रूपये (50,000रू भारतीय प्रचलित मुद्रा तथा 2,93,500 रूपये के डमी नोट) रिश्वत राशि प्राप्त करते गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 462/2022 पंजीबद्ध किया गया।

वस्तु एवं सेवाकर विभागः

24. दिनांक 15.06.2022 को अधीक्षक, केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, एन्टी एवीजन विंग, अलवर एवं अन्य के द्वारा परिवादी श्री जितेन्द्र सिंह से उसकी रीको औद्योगिक क्षेत्र, भरतपुर स्थित ऑयल मिल पर 9 करोड रूपये का फर्जी स्टॉक बताकर परिवादी को धमकाकर 4 लाख रूपये प्राप्त कर लिये जिनको एसीबी द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर आरोपी की गाडी को रूकवाकर चैक किया व मौके पर 4 लाख रूपये बरामद कर परिवाादी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण संख्या 240/2022 पंजीबद्ध किया गया।

25. दिनांक 28.02.2022 को श्री रघुवीर शरण शर्मा, पुलिस निरीक्षक, ए.सी.बी. की सूत्र सूचना के आधार पर उपायुक्त, वाणिज्य कर विभाग, भीलवाडा (अति0 आयुक्त जीएसटी) एवं अन्य के द्वारा भीलवाडा के व्यापारियों एवं ट्रान्सपोटर्स को वाणिज्य कर में फायदा पहुचाने के लिए मासिक बन्धी के रूप में 4,00,000 रूपये प्राप्त करते हुये गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 64 / 2022 पंजीबद्ध किया गया।

बायोफ्यूल प्राधिकरणः

26. दिनांक 08.04.2022 को सी.ई.ओ. एवं परियोजना निदेशक, बायोफ्यूल प्राधिकरण एवं पदेन संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास विभाग, योजना भवन जयपुर व अन्य द्वारा परिवादी श्री विपिन परिहार से उसकी फर्म के लाईसेंस नवीनीकरण की एवज में 5,00,000 रूपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 123 / 2022 पंजीबद्ध किया गया।

चिकित्सा विभागः

27. दिनांक 21.05.2022 को वित्तीय सलाहकार, सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर व अन्य द्वारा परिवादी श्री भरत राजपुरोहित से बिल पास करवाने की एवज में 15,60,000 रूपये रिश्वत प्राप्त करते हुए गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 200 / 2022 पंजीबद्ध किया गया।
28. दिनांक 09.09.2022 को चिकित्सा अधिकारी, प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पीलीबंगा, जिला हनुमानगढ द्वारा परिवादी श्री विकास कुमार से चोट प्रतिवेदन गम्भीर प्रकृति का बनाने की एवज में 1,25,000 रू प्राप्त किये गये थे। एसीबी में शिकायत होने के उपरान्त फोनपे के द्वारा 80,000 रूपये वापस परिवादी को लौटाये जाने पर गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 354 / 2022 पंजीबद्ध किया गया।

आयकर विभागः

29. प्रकरण में दिनांक 25.05.2022 को सी.ए. को परिवादी श्री जगदीश कुमार से उसकी फर्म के विरूद्ध आयकर विभाग में चल रही फाईल के निस्तारण की एवज में आयकर विभाग के अधिकारियों के लिए 2,00,000 रू रिश्वत राशि लेते हुए गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 205 / 2022 पंजीबद्ध किया गया।

परिवहन विभागः–

30. दिनांक 11.04.2022 को परिवादी श्री तेज सिंह नयाल की शिकायत तथा सूत्र सूचना एवं अन्तावरोध वार्ताओं के परीक्षण से परिवहन निरीक्षक, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी कर संग्रहण केन्द्र, शाहजहांपुर, अलवर व अन्य के द्वारा चैक पोस्ट से गुजरने वाले व्यवसायिक वाहनों से लाखों रूपये की अवैध वसूली करना पाया जाने पर कुल 13 आरोपियों व अन्य के विरूद्ध प्रकरण संख्या 126 / 2022 पंजीबद्ध किया गया।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभागः

31. दिनांक 20.06..2022 को अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

खण्ड बालोतरा, जिला बाडमेर के द्वारा परिवादी श्री अन्नाराम से "जल जीवन मिशन योजना" के तहत किये गये कार्यों के लम्बित बिल पास करने की एवज में 1,00,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 247/2022 पंजीबद्ध किया गया।

32. दिनांक 27.09.2022 को श्री राजेश दुरेजा, पुलिस निरीक्षक, ए.सी.बी. की सूत्र सूचना के आधार पर श्री मनीष बेनीवाल, मुख्य अभियंता–शहरी (एन.आर.डब्ल्यू.), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर, राज0 एवं अन्य के द्वारा आपसी मिलीभगत कर फर्म मैसर्स आर.ए.एस.सी. इन्फ्राटेक डवलपर्स, अजमेर से पम्प हाउस एवं पाईप लाईन के कार्यों के 32 करोड रूपये के टेण्डरों को सबलेट करने की एवज में कमीशन के रूप में रिश्वत राशि 10,40,000 रूपये प्राप्त करते गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 388/2022 पंजीबद्ध किया गया।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालयः

33. प्रकरण में दिनांक 06.05.2022 को कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा परिवादी श्री राहुल सिंघी से उसका कॉलेज चलने देने की एवज में 5,00,000 रूपये रिश्वत राशि लेते हुये गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 168/2022 पंजीबद्ध किया गया।

रेल विभागः

34. दिनांक 22.09.2022 को कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक (वेलफेयर इन्सपेक्टर), कार्यालय मण्डल रेल प्रबन्धक, जोधपुर को परिवादी श्री हरेन्द्र गुर्जर से उसकी मेडीकल बोर्ड की अनुशंषा पर कार्य परिवर्तन कराने की पत्रावली आगे बढाने व कार्य करावाने की एवज में दलाल के मार्फत 3,35,000 रूपये की रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार कर प्रकरण संख्या 379/2022 पंजीबद्ध किया गया।

(ब) पद के दुरूपयोग के महत्वपूर्ण प्रकरण

राजस्व विभागः

35. तत्कालीन सी.एम.डी., राजस्थान वित्त निगम मुख्यालय हाल सेवानिवृत एवं अन्यों के द्वारा 256 फ्लेटों को बेचने हेतु विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण स्वीकृत करवा लिया गया था, जो कि आर.एफ.सी. के अफसरों एवं कर्मचारियों की जानकारी में था। इसके बाद भी कृष्णा विला प्राईम अपार्टमेन्ट प्रा0 लि0 को 9 करोड रूपये का ऋण नियम विरूद्ध स्वीकृत कर विभाग को हानि पहुँचाने पर दिनांक 09.06.2022 को प्रकरण संख्या 227/2022 पंजीबद्ध किया गया।

विश्वविद्यालयः

36. परिवादी श्री अमन सिंह की शिकायत पर तत्कालीन अध्यक्ष, क्रीड़ामण्डल, जे.एन.वी.यू. जोधपुर ने मिलीभगत कर क्रीड़ामण्डल जे.एन.वी.यू. जोधपुर को राशि 4,66,255 रूपये का नुकसान पहुंचाया जिस पर दिनांक 13.06.2022 को प्रकरण संख्या 233/22 पंजीबद्ध किया गया।

सहकारी बैंक:

37. तत्कालीन प्रबंधक निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, पाली व अन्य द्वारा पद का दुरूपयोग कर आपराधिक मिलीभग कर एवं नियमों को तोड़–मोड़ कर नियमों की गलत व्याख्या कर धोखाधड़ी पूर्वक फर्म मै0 वेदान्ता पावर सॉल्यूशन को अनुचित लाभ तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, पाली को राशि 68,82,500 रूपये की अनुचित आर्थिक हानि पहुंचाई जिस पर दिनांक 18.10.2022 को प्रकरण संख्या 412/22 पंजीबद्ध किया गया।

(स) आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के महत्वपूर्ण प्रकरण

खनिज विभाग:

38. अधीक्षण खनिज अभियंता (सतर्कता) खनिज एवं भूविज्ञान विभाग भरतपुर हाल अधीक्षण अभियंता (सतर्कता) खनिज भवन उदयपुर के निवास की खाना तलाशी के दौरान 1,63,17,211/– रूपये वैध घोषित आय से अनुपातिक रूप से अधिक (512.53 प्रतिशत) पाये जाने पर दिनांक 05.01.2022 को अभियोग संख्या 01/2022 पंजीबद्ध किया गया।

राजस्व विभाग:

39. प्रबंधक, राजस्थान वित्त निगम, शाखा किशनगढ जिला अजमेर के निवास की खाना तलाशी के दौरान 5,55,82,482/– रूपये वैध घोषित आय से अनुपातिक रूप से अधिक (758 प्रतिशत) पाये जाने पर दिनांक 11.03.2022 को अभियोग संख्या 88/2022 पंजीबद्ध किया गया।

बॉयोफ्यूल:–

40. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, (प्रोजेक्ट) बायोफ्यूल प्राधिकरण एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव (ग्रामीण विभाग) ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर के निवास की खाना तलाशी के दौरान 11,99,59,278/– रूपये वैध घोषित आय से अनुपातिक रूप से अधिक (750 प्रतिशत) पाये जाने पर दिनांक 19.05.2022 को अभियोग संख्या 190/2022 पंजीबद्ध किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा किए गए नवाचार

भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान

आमजन को भ्रष्टाचार के विरूद्ध जागरूक करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल–फ्री हैल्पलाईन नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हैल्पलाईन नम्बर 94135–02834 का तहसील एवं ग्राम स्तर तक प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। उक्त माध्यम से प्राप्त सूचना/शिकायतों का सक्षम स्तर से मॉनिटरिंग की जाती है। भ्रष्टाचार से आमजन को राहत देने के उद्देश्य से शुरू की गई यह योजना काफी सफल रही है, माह जुलाई 2020 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा टोल–फ्री हैल्पलाईन नम्बर 1064 की शुरूआत की गई। माह जनवरी 2021 में व्हाट्सएप हैल्पलाईन नम्बर 94135–02834 की शुरूआत हुई।

ए.सी.बी. आपके द्वार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा परिवादी पक्ष से व्हाट्सअप 9413502834 अथवा हैल्पलाईन 1064 से प्राप्त शिकायत/सूचना पर संबंधित अधिकारी को परिवादी से तुरंत सम्पर्क कर उसके पास पहुंच कर यथोचित कार्यवाही करने की शुरूआत की गई है, जिसे "**ए.सी.बी. आपके द्वार**" नाम दिया गया।

टोल–फ्री हैल्पलाईन नम्बर 1064 पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर ब्यूरो द्वारा वर्ष 2021 में 53 प्रकरण वर्ष 2022 में 67 प्रकरण दर्ज किये गये।

व्हाट्सएप हैल्पलाईन नम्बर 94135–02834 पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर ब्यूरो द्वारा वर्ष 2021 में 04 प्रकरण एवं वर्ष 2022 में 37 प्रकरण दर्ज किये गये।

ग्राम सजग योजना

इस योजना का प्रमुख ध्येय सजग ग्राम को भ्रष्टाचार से बिल्कुल मुक्त करना तथा राज्य व केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से ग्रामवासियों को अवगत करवाकर प्रत्येक योग्य व्यक्ति को चिन्हित कर योजना का लाभ दिलवाना है।

भ्रष्टाचार के विरूद्ध शुरू किये गये अभियान के अनुक्रम में ब्यूरो मुख्यालय द्वारा प्रत्येक यूनिट स्तर पर '**ग्राम सजग योजना**' की शुरूआत की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक यूनिट द्वारा एक गांव का चयन कर सम्बंधित आमजन को भ्रष्टाचार के विरूद्ध जागरूक कर उन्हें अपने अधिकारों व हितों के सम्बंध में जानकारी प्रदान कर अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाना है। इस क्रम में ब्यूरो द्वारा 51 ग्रामों का चयन किया जा चुका है।

रिवॉल्विंग फण्ड

ब्यूरो एवं राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान एवं समान न्याय के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना का मूल कार्य परिवादी द्वारा धन की कमी के कारण भ्रष्ट लोकसेवकों के विरूद्ध ब्यूरो में शिकायत दर्ज नही करवायी जाती थी, जिसका मूल कारण परिवादी की धनराशि ट्रेप कार्यवाही होने के पश्चात् प्रकरण में माननीय न्यायालय के निर्णय तक ब्लॉक हो जाती थी। वर्तमान में ट्रेप कार्यवाही के तुरन्त पश्चात् परिवादी को उसके द्वारा ट्रेप आयोजन के समय दी गई रिश्वत राशि को रिवॉल्विंग फण्ड के माध्यम से पुनर्भरण कर दिया जाता है। माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात् उक्त पुनर्भरण की गई राशि को रिवॉल्विंग फण्ड में पुनः समायोजित कर दिया जाता है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा वर्ष 2021—2022 के अनुरूप 1 करोड़ राशि के रिवॉल्विंग फण्ड की स्थापना एक ऐतिहासिक कदम रहा। वर्ष 2022 में ब्यूरो को राशि रू0 50.00 लाख राज्य सरकार से प्राप्त हुए, जिसमें से 57 परिवादियों को राशि 41,89,900 रूपये का पुनर्भरण रिवॉल्विंग फण्ड के अन्तर्गत किया जा चुका है।

वर्ष 2022 में निर्णित प्रकरण

माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के बाद 109 प्रकरणों में आरोपियों को सजा का निर्णय सुनाया गया जिनमें प्रमुख प्रकरण निम्न हैं :—

क्र. सं.	अपराध संख्या	नाम आरोपी	पद	सजा
1.	86/06	भूपेन्द्र शर्मा	कॉपरेटिव इन्सपेक्टर	7 पीसी एक्ट में दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 40,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
2.	52/09	डॉ0 सुशील कुमार शर्मा	चिकित्सक	7 पीसी एक्ट में तीन वर्ष के कारावास एवं 20,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं 20,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
3.	119/12	मंजीत सिंह खटीक	उप निरीक्षक	7 पीसी एक्ट में दो वर्ष के कारावास एवं 25,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कारावास एवं 25,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
4.	300/12	विनोद कुमार शर्मा	सहायक कारापाल	7 पीसी एक्ट में तीन वर्ष के कारावास एवं 30,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
5.	386/11	मांगीलाल	कानूनगो	7 पीसी एक्ट में दो वर्ष के कारावास एवं 20,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं 20,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
6.	151/10	राकेश पारेता	पटवारी	7 पीसी एक्ट में तीन वर्ष के कारावास एवं 30,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कारावास एवं 40,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
7.	59/08	बनवारीलाल गुर्जर	सरपंच	7 पीसी एक्ट में तीन वर्ष के कारावास एवं 20,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं 20,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

8.	273/08	हर्षचन्द जैन	चिकित्सक	7 पीसी एक्ट में दो वर्ष के कारावास एवं 10,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
9.	250/07	रूपसिंह मीणा	सहायक दी ओरियन्टल इश्योरेंश	7 पीसी एक्ट में दो वर्ष के कारावास एवं 5000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
10.	100/05	डॉ0 एनएस पंचौली व अन्य	चिकित्सक	धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं 1,00000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
11.	401/10	सूबेसिंह	पटवारी	धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
12.	250/09	रोशनलाल मांडिया व अन्य	कनिष्ठ अभियंता	7 पीसी एक्ट में दो वर्ष के कारावास एवं 20,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं 25,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
13.	105/2000	बृजमोहन सोनी व अन्य	सरपंच	धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में पांच वर्ष के कारावास एवं 50,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
14.	262/09	पुष्पेन्द्र जाट	तकनीकी सहायक	7 पीसी एक्ट में दो वर्ष के कारावास एवं 5000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में दो वर्ष के कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
15.	234/08	गंगाराम जाट	सरपंच	धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में एक वर्ष के कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
16.	200/14	हनवन्तसिंह व अन्य	भू अभिलेख निरीक्षक	7 पीसी एक्ट में तीन वर्ष के कारावास एवं 1,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कारावास एवं 1,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

17.	56/09	किरोडीलाल मीणा व अन्य	आयकर अधिकारी	7 पीसी एक्ट में दो वर्ष के कारावास एवं 10,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कारावास एवं 20,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
18.	466/13	राजेन्द्र कुमार जैन	लेखाकार	धारा 13(1)(ई), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में दो वर्ष के कारावास एवं 1,12,500 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
19.	160/10	सोहनलाल मीणा	कनिष्ठ अभियंता	7 पीसी एक्ट में चार वर्ष के कारावास एवं 20,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कारावास एवं 20,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
20.	286/12	रमेश चन्द शर्मा व अन्य	जिला शिक्षा अधिकारी	धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कारावास एवं 40,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
21.	41/07	महावीर सिंह जाट	जेईएन	धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं 1,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
22.	214/08	पूरणमल नाई	उप निरीक्षक	7 पीसी एक्ट में तीन वर्ष के कारावास एवं 1000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं 1,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
23.	322/13	हरिकिशन गौड	पुलिस निरीक्षक	7 पीसी एक्ट में दो वर्ष के कारावास एवं 25,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में दो वर्ष के कारावास एवं 25,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
24.	316/08	डॉ0 सुनिता अग्रवाल	चिकित्सक	7 पीसी एक्ट में दो वर्ष के कारावास एवं 20,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं 30,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
25.	70/12	हनुमान सुथार	पटवारी	7 पीसी एक्ट में चार वर्ष के कारावास एवं 50,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कारावास एवं 50,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

26.	231/08	बाबूलाल शर्मा	ग्राम उद्योग प्रसार अधिकारी	7 पीसी एक्ट में दो वर्ष के कारावास एवं 20,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं 30,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
27.	286/07	सोनाराम विश्नोई व अन्य	सरपंच	धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में दो वर्ष के कारावास एवं 3,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
28.	45/14	ब्रह्मानन्द	आबकारी कानि0	धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कारावास एवं 4,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
29.	188/04	चरनजीत सिंह भाटिया	प्रबन्धक	7 पीसी एक्ट में एक वर्ष के कारावास एवं 10,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में दो वर्ष के कारावास एवं 15,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
30.	36/09	कन्हैयालाल कुमावत	अध्यक्ष नगरपालिका	7 पीसी एक्ट में दो वर्ष के कारावास एवं 15,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं 25,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
31.	38/04	प्रकाश कीर व अन्य	प्राईवेट व्यक्ति	8 पीसी एक्ट में दो वर्ष के कारावास एवं 10,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
32.	173/09	चिरंजीत चौधरी	सहायक अभियंता	7 पीसी एक्ट में एक वर्ष के कारावास एवं 10,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में एक वर्ष के कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
33.	383/13	महावीर प्रसाद जाट	पटवारी	7 पीसी एक्ट में चार वर्ष के कारावास एवं 8,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कारावास एवं 8,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
34.	275/07	अनिल कुमार जैन	अधिशाषी अभियंता	7 पीसी एक्ट में तीन वर्ष के कारावास एवं 25,000/—रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं 25,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

35.	37 / 14	गोविन्द प्रसाद	कनिष्ठ तकनीकी सहायक	7 पीसी एक्ट में तीन वर्ष के कारावास एवं 5,000 / –रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कारावास एवं 5,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
36.	249 / 99	मुरारीलाल शर्मा व अन्य	व्याख्याता	धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं 15,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
37.	88 / 10	श्रीराम अहीर	पटवारी	7 पीसी एक्ट में एक वर्ष के कारावास एवं 2,000 / –रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में एक वर्ष के कारावास एवं 2,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
38.	76 / 08	तुलसीराम कोली व अन्य	लेखाकार	7 पीसी एक्ट में दो वर्ष के कारावास एवं 30,000 / –रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं 50,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
39.	149 / 12	देराजराम व अन्य	रोजगार सहायक	7 पीसी एक्ट में तीन वर्ष के कारावास एवं 5,000 / –रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं 5,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
40.	328 / 13	गोरधनराम	कार्यक्रम समन्वयक	7 पीसी एक्ट में एक वर्ष के कारावास एवं 1,000 / –रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में दो वर्ष के कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
41.	278 / 04	भगवानसिंह	कनिष्ठ लेखाकार	7 पीसी एक्ट में दो वर्ष के कारावास एवं 20,000 / –रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं 30,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
42.	143 / 05	सतीश कुमार	निजी सहायक	7 पीसी एक्ट में एक वर्ष के कारावास एवं 25,000 / –रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में एक वर्ष के कारावास एवं 25,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

43.	174 / 10	अनिल कुमार अग्रवाल व अन्य	सहायक अभियन्ता प्रदूषण नियंत्रण मण्डल भीलवाडा	धारा 7 पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 20,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 20,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
44.	30 / 14	रामकिशन मीणा	गिरदावर हल्का ईटोली जिला अलवर	धारा 7 पीसी एक्ट 1988 में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
45.	56 / 12	रामनारायण खटीक	सहायक सचिव	धारा 7 पीसी एक्ट 1988 में तीन साल के कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 20,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
46.	82 / 05	तेजसिंह वर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता	धारा 7 पीसी एक्ट 1988 में दो वर्ष के कारावास एवं 30,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
47.	345 / 14	पाबूराम विश्नोई	प्राईवेट व्यक्ति	धारा 8 पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
48.	110 / 14	आशा जोशी	एएनएम नेवरा रोड जोधपुर	धारा 7 पीसी एक्ट 1988 में तीन वर्ष के कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
49.	348 / 12	1. राजेन्द्र प्रसाद तिवाडी 2. मन्नोराम मीणा व अन्य	मुख्य आरक्षक आरपीएस	धारा 7 पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कारावास एवं 25,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 25,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
50.	221 / 05	प्रभाकर शर्मा	प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी	धारा 7 पीसी एक्ट 1988 में एक वर्ष के कारावास एवं 10,,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में एक वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

51.	226 / 12	कैलाश चन्द शर्मा	ग्राम विकास अधिकारी	धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
52.	65 / 04	तोरण सिह	उप मण्डल अभियन्ता बीएसएनएल	धारा 7 पीसी एक्ट 1988 में एक वर्ष के कारावास एवं 20,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 30,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
53.	82 / 15	अशोक कुमार गुप्ता	कनिष्ठ अभियन्ता	धारा 7 पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 10,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
54.	230 / 09	नारायण प्रकाश माथुर	स्टेनोग्राफर	धारा 7 पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कारावास एवं 2,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 में चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 2,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

परिवाद

वर्ष 2022 के आरम्भ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 821 परिवाद विचाराधीन थे। वर्ष 2022 में 13 परिवाद सत्यापन हेतु पंजीबद्ध किये गए। इस प्रकार कुल 834 परिवाद विचाराधीन हुए। इनमें से 279 परिवादों का निस्तारण किया गया। जिसमें 11 परिवादों पर नियमित अभियोग पंजीबद्ध किये गये, 10 परिवादों पर प्राथमिक जांच पंजीबद्व की गई, 01 परिवाद पर विभागीय कार्यवाही जांच किये जाने का निर्णय लिया गया। 64 परिवाद में प्रथम दृष्टया विभागीय मामला होने पर संबंधित विभागो को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये एवं 193 परिवादों में आरोप सत्यापन से अप्रमाणित पाये जाने पर नस्तीबद्ध किये गये। वर्ष 2022 के अन्त में 555 परिवाद शेष लम्बित रहे।

परिवाद से संबंधित तीन वर्षों की तुलनात्मक तालिका (वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		
		2020	2021	2022
1	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित परिवाद	1287	1361	821
2	वर्ष में पंजीबद्ध परिवाद	160	31	13
3	वर्ष में रिओपन किए गए परिवाद	00	00	00
4	वर्ष में कुल विचाराधीन परिवाद (क्रम संख्या 1+2+3 का योग)	1447	1392	834
5	परिवाद पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट	31	30	11
6	परिवाद पर पंजीबद्ध प्राथमिक जांच	00	00	10
7	विभागाध्यक्षों को विभागीय कार्यवाही हेतु भेजे गये परिवाद	00	01	01
8	विभागाध्यक्षों को उनके स्तर पर जांच करवाने हेतु भेजे गये परिवाद	06	121	64
9	आरोप अप्रमाणित पाये जाने पर नस्तीबद्ध किये गये परिवाद	49	419	193
10	वर्ष में निस्तारण का योग (क्रम संख्या 5+6+7+8+9 का योग)	86	571	279
11	वर्ष के अन्त में लम्बित रहे परिवादों की संख्या(क्रम संख्या 4 – 10 का अंतर)	1361	821	555

प्राथमिक जांच

वर्ष 2022 के प्रारम्भ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में 84 प्राथमिक जाँच विचाराधीन थी। वर्ष 2022 में 26 प्राथमिक जाँच पंजीबद्ध की गई। इस प्रकार कुल 110 प्राथमिक जाँच विचाराधीन हुई। वर्ष 2022 में कुल 38 प्राथमिक जाँचों का निस्तारण किया गया। जिसमें 08 प्राथमिक जाँचों पर नियमित अभियोग पंजीबद्ध किये गये, 03 प्राथमिक जाँचों में विभागीय जाँच करने का निर्णय लिया गया, 09 प्राथमिक जाँचों में विभागीय स्तर का मामला होने पर संबंधित विभागों को यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई एवं 18 प्राथमिक जाँचों में आरोप अप्रमाणित पाये जाने पर नस्तीबद्ध की गई। वर्ष 2022 के अन्त में 72 प्राथमिक जाँचे जाँचाधीन रही।

प्राथमिक जांच से संबंधित तीन वर्षों की तुलनात्मक तालिका
(वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		
		2020	2021	2022
1	वर्ष के प्रारम्भ में लम्बित प्राथमिक जांच	135	128	84
2	वर्ष में पंजीबद्ध प्राथमिक जांच	04	10	26
3	वर्ष में रिओपन की गई प्राथमिक जांच	01	00	00
4	वर्ष में कुल विचाराधीन प्राथमिक जांच (क्रम संख्या 1+2+3 का योग)	140	138	110
5	प्राथमिक जांच पर पंजीबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट	04	10	08
6	विभागाध्यक्षों को विभागीय जांच हेतु भेजी गई	00	03	03
7	विभागाध्यक्षों को कार्यवाही हेतु भेजी गई	02	14	09
8	आरोप अप्रमाणित पाये जाने पर नस्तीबद्ध की गई	06	27	18
9	वर्ष में निस्तारण का योग (क्रम संख्या 5+6+7+8 का योग)	12	54	38
10	वर्ष के अन्त में लम्बित रही प्राथमिक जांच (क्रम संख्या 4 – 9 का अन्तर)	128	84	72

अभियोग

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में वर्ष 2022 के प्रारम्भ में 1705 अभियोग विचाराधीन थे। वर्ष 2022 में कुल 511 अभियोग पंजीबद्ध किये गये, जिनमें 465 अभियोग अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा रिश्वत की राशि मांगने एवं प्राप्त करने के हैं, 27 अभियोग आय से अधिक सम्पत्ति के हैं एवं 19 अभियोग पद के दुरूपयोग से संबंधित हैं। वर्ष 2022 में 20 अभियोगों में न्यायालयों में अंतिम निर्णय प्रस्तुत किये जाने के बाद न्यायालयों के आदेश पर पुनः अनुसंधान आरम्भ किया गया। इस प्रकार वर्ष में कुल 2236 अभियोग अनुसंधानाधीन रहे। वर्ष 2022 में कुल 606 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें से 484 अभियोगों में सम्बन्धित न्यायालयों में चालान तथा 122 अभियोगों में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए। वर्ष 2022 के अन्त में 1630 अभियोग पूर्ण रूप से अनुसंधानाधीन रहे। धारा 173 (8) दप्रसं तथा माननीय न्यायालय में चालान पेश उपरांत अभियोजन स्वीकृति के अभाव में 91 अभियोग लंबित रहे इस प्रकार कुल 1721 अभियोग वर्ष के अन्त में अनुसंधानाधीन रहे।

अभियोग से संबंधित तीन वर्षों की तुलनात्मक तालिका
(वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		
		2020	2021	2022
1	वर्ष के के प्रारम्भ में लम्बित अपराध	1694	1776	1705
2	आलोच्य वर्ष में ट्रेप से पंजीबद्ध अपराध	313	430	465
3	आलोच्य वर्ष में आय से अधिक परिसम्पति रखने के पंजीबद्ध अपराध	16	29	27
4	आलोच्य वर्ष में पद के दुरूपयोग से संबंधित पंजीबद्ध अपराध	34	42	19
5	न्यायालय से पुनः अनुसंधान हेतु प्राप्त	01	03	20
6	वर्ष में कुल विचाराधीन अपराध (क्रम संख्या 2+3+4+5 का योग)	364	504	531
7	आलोच्य वर्ष में कुल विचाराधीन अपराध (क्रम संख्या 1+6का योग)	2058	2280	2236
8	सक्षम न्यायालय में पेश चालान	239	463	484
9	सक्षम न्यायालय में पेश अंतिम प्रतिवेदन	43	112	122
10	कुल निस्तारित अपराधों की संख्या (क्रम संख्या 8+9 का योग)	282	575	606
11	वर्ष में अन्त में शेष बचे विचाराधीन अपराधों की संख्या (क्रम संख्या 7–10 का अंतर)	1776	1705	1630

अभियोजन स्वीकृति

वर्ष 2022 के प्रारम्भ में 442 अभियोग सक्षम प्राधिकारीगण के पास अभियोजन स्वीकृति हेतु विचाराधीन थे। वर्ष 2022 में 535 अभियोगों में अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव प्रेषित किये गये। इस प्रकार कुल 977 अभियोगों में अभियोजन स्वीकृति प्रस्ताव विचाराधीन थे। वर्ष के दौरान कुल 532 अभियोगों में अभियोजन स्वीकृति के बाबत निर्णय ब्यूरो को प्राप्त हुए। वर्ष 2022 के अन्त में कुल 445 अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारीगण के पास विचाराधीन है।

अभियोजन स्वीकृति के प्रकरणों की तीन वर्षों की स्थिति (वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1.	वर्ष के प्रारम्भ में पेण्डिंग अभियोजन स्वीकृति के अभियोगों की संख्या	197	244	442
2.	वर्ष में भेजी अभियोजन स्वीकृति के अभियोगों की संख्या	269	666	535
3.	क्रम संख्या 1+2 का योग	466	910	977
4.	वर्ष में अभियोजन स्वीकृति बाबत प्राप्त निर्णय	222	468	532
5.	वर्ष के अन्त में लम्बित (क्रम संख्या 3–4 का अंतर)	244	442	445

अभियोजन कार्य

वर्ष 2022 के आरम्भ में 3312 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन थे। वर्ष 2022 में 500 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किये गए। इस प्रकार कुल 3812 प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन रहे, इनमें से 233 प्रकरणों का विभिन्न न्यायालयों से निस्तारण हुआ। जिसमें से 109 प्रकरणों में न्यायालयों द्वारा अभियुक्तों को सजा से दण्डित किया गया, 104 प्रकरणों में अभियुक्तों को दोषमुक्त किया एवं 20 प्रकरण आरोपीगण की मृत्यु होने से ड्रॉप की गई। वर्ष 2022 के अन्त तक 3579 प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन रहे।

अभियोजन से संबंधित तीन वर्षों की तुलनात्मक तालिका (वर्ष 2020 से वर्ष 2022 तक)

क्रम संख्या	कार्य विवरण	वर्ष		
		2020	2021	2022
1	2	3	4	5
1	वर्ष के प्रारम्भ में न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों की संख्या	3005	3078	3312
2	वर्ष में प्राप्त प्रकरणों की संख्या	198	378	500
3	न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों की कुल संख्या (क्रम संख्या 1+2 का योग)	3203	3456	3812
4	सजा के प्रकरणों की संख्या	56	55	109
5	बरी के प्रकरणों की संख्या	50	66	104
6	ड्रोप हुए प्रकरणों की संख्या	19	23	20
7	कुल निस्तारित प्रकरणों की संख्या (क्रम संख्या 4+5+6 का योग)	125	144	233
8	वर्ष के अन्त में न्यायालय में शेष विचाराधीन रहें प्रकरणों की संख्या (क्रम संख्या 3 – 7 का अन्तर)	**3078**	**3312**	**3579**